

2378

12

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- HFE-34(2)-3/2015

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 2.855 hectare of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Charu-Bagh-Barvi-Grawag road, (Kms. 0/00 to 7/00) under PMGSY, within the jurisdiction of Theog Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB065/2012-CH/A दिनांक 01-05-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2.855 hectare of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Charu-Bagh-Barvi-Grawag road, (Kms. 0/00 to 7/00) under PMGSY, within the jurisdiction of Theog Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए गिनालिखित शर्तें मूद करनी पर पत्रावली की जाती है।

1. वन भूमि की निम्न परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम या कम पौध / Saplings, कटवाए जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार एक ली सिक्कटर वृक्षों और 60 Saplings से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-362 Deothi में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 5,80,700/- (पांच लाख अस्सी हजार सात सौ मात्र) की राशि से कुल 6.00 हेक्टर वन भूमि में पौधे लगाकर किये जायेंगे। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India be obtained and sent to the O/o MoEF, Govt. Northern Region, Chandigarh.
5. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की निराला को दिखे नहीं सुरक्षा रूपाय / पूर्वरूपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002 - PC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-PC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
8. यदि कोई अन्य संश्लेषित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

CCF(FCA)

CCF
23/5

965
27/5/13

8 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-
cum- Deputy Commissioner, District Shimla.

9 उपरोक्त निर्माणों जो भी वक्ष आयेंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हदया
जायेगा।

10 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूर्व में
जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB065/2011 - CHA दिनांक 01-05-2013 में जारी सभी
शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस
स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की
अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No/FF-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the. 23-5-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment
and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained
in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal
Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla Himachal Pradesh.
6. Executive engineer, Jubbil Division, HPPWD Jubbil, Distt. Shimla, HP.
7. CCF, Theog /DFO, Theog Forest Division, Distt. Shimla, HP.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.